रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 876] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2016/अग्रहायण 30, 1938
No. 876] NEW DELHI, WEDNESDAY DECEMBER 21, 2016/AGRAHAYANA 30, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2016

सं.56/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि.1164(अ).—जबकि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी, दिनांक 1 अक्तूबर, 2015 के अंतर्गत टर्की और रूस (जिन्हें एतश्मिन पश्चात विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु के रूप में संबोधित किया गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) [इसके पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संबोधित किया गया है] की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2836 20 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले परिपाटन शुल्क को बनाए रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उपधारा (5) के संबंध में, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. सं.258(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं.08/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लागू किया गया था, की मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ की थी।

और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, में दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं.15/17/2015-डीजीएडी दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जांच की अवधि (इसके पश्चात जिसे पीओआई के रूप में संबोधित किया गया है) के दौरान धनात्मक है, इसलिए घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमतों और लाभ प्रदाता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के पश्चात नहीं है।

(ii) अंडरकटिंग एवं अंडरसेलिंग दोनों पीओआई तथा पीओआई के पश्चात ऋणात्मक हैं।

(iii) पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

(iv) पीओआई के दौरान संबद्ध देशों द्वारा अन्य देशों के निर्यात की आधार कीमतों पर संभावित क्षति मार्जिन भी ऋणात्मक है ।

(v) कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी का प्रभाव नहीं है ।

(vi) घरेलू उद्योग के लगभग सभी मात्रा प्राचल और कीमत प्राचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात धनात्मक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लंबी अवधि के लिए उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(vii) तथापि पाटन करने वाले देश, न तो घरेलू उद्योग क्षति का कारण है ओर न ही पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में संभावित क्षति का कारण हैं ।

और संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश की है।

और जहांकि, उक्त अंतिम निष्कर्षों को 2016 के विशेष सिविल आवेदन 16427 और 16429 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के आदेश में यह कहा है कि यदि, नामित प्राधिकारी के द्वारा दर्ज विवादित व अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में, केन्द्र सरकार प्रतिपाटन नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक लागू नहीं होगी।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतर्गत, सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.08/2013-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18 अप्रैल, 2013, जिसे सा.का.नि. 258(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई और करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, करती है और ऐसा निरसन 2016 के 16427 और 16429 विशेष सिविल आवेदन में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक स्थगित रहेगा।

[फा.सं. 354/30/2013-टीआरयू (भाग-1)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2016

No.56/2016-Customs (ADD)

G.S.R.1164(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/17/2015-DGAD, dated the 1st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st October, 2015, had initiated Mid-Term Review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules) in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Soda Ash (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Turkey and Russia (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.258(E), dated the 18th April, 2013;

And, Whereas, the designated authority, in its final findings in Mid-Term Review (hereinafter referred to as the final findings) *vide* notification No.15/17/2015-DGAD, dated the 23rd September, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2016, has come to the conclusion that-

(i) although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of subject goods from the subject countries is positive during the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI), the adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry is absent during the POI as well as post-POI;

(ii) both undercutting and underselling are negative during POI as well as post-POI;

(iii) the injury margin is negative during POI as well as post-POI;

(iv) the likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries during the POI are also negative;

(v) price suppression and price depression effects are absent;

(vi) all most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during POI and post-POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of the domestic industry;

(vii) although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor is there any likelihood of causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties,

and has recommended revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

And whereas, the said final findings dated the 23rd September, 2016 were challenged in the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.16427 and 16429 of 2016 and the High Court vide it's order dated the 13th December, 2016 has held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated authority, the Central Government publishes a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti-dumping Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, and in view of the aforesaid order of the High Court of Gujarat dated the 13th December, 2016, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.08/2013-Customs (ADD), dated the 18th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 258(E), dated the 18th April, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, and such recession shall remain in abeyance subject to the final order of the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No.16427 and 16429 of 2016.

[F.No.354/30/2013 –TRU (Pt.-1)]
ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.22 19:54:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.